संख्या-41/2019/655/26-3-2019

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 8 फरवरी 2019

विषय:- **प्रमोद महाविद्यालय महरारा हाथरस में वर्ष 2011-12 वर्ष 2012-13 में अध्ययनरत् रहे क्रमश: 37 व 42 अनुसूचित जाति छात्रों की छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति के भुगतान की अनुमति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1090/स0क0/शिक्षा-अ/ 01/247/2018-19, दिनाक-27.06.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त प्रमोद महाविद्यालय, महरारा, हाथरस में वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में अध्ययनरत् रहे क्रमशः 37 व 42 अनुसूचित जाति छात्रों की लम्बित छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि **रू0-42,23,688/-(रू0-बयालिस लाख तेइस हजार छः सौ अठ्ठासी मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-80 में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी थी, से भुगतान की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

पृ.संख्या-41/2019/655(1)/26-3-2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, हाथरस।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।